न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 158/2021

वादी

1. गणपत राम पुत्र किता राम जाति मेघवाल निवासी धीरसर तहसील मकराना

बनाम

प्रतिवादीगण

1. ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी कोलिया तहसील डीडवाना
2. मुन्नीदेवी पत्नि इन्द्राराम जाति मेघवाल निवासी उंचाईड़ा
3. शिम्भूराम पुत्र अर्जूनराम जाति मेघवाल निवासी धीरसर
4. रामनिवास पुत्र मांगीलाल जाति हरिजन निवीस उचांईड़ा
5. बावड़ी पत्नि गोमदाराम
6. भंवराराम पुत्र गोमदाराम
7. भागुराम पुत्र गोमदाराम
8. भागीरथ पुत्र पांचाराम
9. सुरेश पुत्र पांचाराम
10. चेनकी पत्नि पांचाराम जातियान हरिजन निवासीगण उचांईड़ा तसहील जायल हाल निवासी उंटालड़ तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू
11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति –

1. वादी 1 कि ओर से श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री गोविन्दराम ढाका एडवोकेट
3. प्रतिवादी संख्या 4 से 10 की ओर से श्री अम्बालाल पारासर एडवोकेट

–:: निर्णय ::–

दिनांक 29.10.24

वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार हैं कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि मुझ वादी द्वारा मौजा उचांईड़ा के खेत खसरा नम्बर 367 रकबा 3.3994 हैक्टेयर में मेंरा सहखातेदारी हक हिस्सा है यह खातेदारी अधिकारी दिनांक 18.06.2020 जरिये रिज. बैचाननामा पूर्णराम व बेवी देवी से खरीद कर प्राप्त किये। दोनों का हिस्सा 1/5–/5 था जो कुल 2/5 हिस्सा था जो मेने खरिद लिया। इस खेत में मेरे अलावा अन्य प्रतिवादी संख्या 10 का सहखातेदारी में नाम दर्ज है। मोजा उचांईड़ा के खसरा नम्बर 3678 रकबा 3.3994 हैक्टेयर में से 1.3597 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार घोषित किया जावे एवं शेष रकबा प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के यथावत घोषित किया जावे। राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद नहीं होने से यह वाद पेश किया जा रहा है। राज्य सरकार ऐसे दावों में आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार जायल को भी पक्षकार बनाया है। जिसे माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधि.) जायल

Scanned with CamScanner

वादी का वाद पत्र न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी घासीराम पुत्र शंकरराम, बुधाराम पुत्र चन्द्राराम एवं बंशीलाल पुत्र शंकरराम कि ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान राम मण्डा ने वकालत नामा मय जवाब दावा काउण्टर क्लेम के प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 4 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्री अम्बालाल पारासर ने वकालतनामा मय इकबाली जवाब के पेश किया। अधिवक्ता श्री गोविन्द राम ढाका ने प्रार्थी श्री ओमप्रकाश, मुन्नीदेवी, एवं शिम्भुराम कि ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रस्तुत किया जिस पर वकिल वादी ने नॉ ऑब्जेक्सन किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर उक्त तीनों को प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया एवं उक्त तीनों कि आरे से अधिवक्ता गोविन्दराम ढाका ने वकालतनामा मय जवाब दावा काउण्टर क्लेम के पेश किया जिस पर वकिल वादी ने नॉ ऑब्जेक्सन किया एवं वाद पत्र को काउण्टर क्लेम अनुसार स्वीकार करने का निवेदन किया। काउन्टर क्लेम का संक्षीप्त विवरण इस प्रकार है प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश का मौजा उंचाईड़ा के खसरा नम्बर 367 रकबा 3.3994 हैक्टेयर में से 1/5 हिस्सा निहित है जिसका रकबा 0.6798 हेक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार अलग से खातेदारी मय तरमीम कब्जा काश्त अनुसार दर्ज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 3 शिम्भुराम का मौजा उंचाईड़ा के खसरा नम्बर 367 रकबा 3.3994 हैक्टेयर में से 1/10 हिस्सा निहित है जिसका रकबा 0.3399 हेक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार अलग से खातेदारी मय तरमीम कब्जा काश्त अनुसार दर्ज किया जावे। वकिल वादी ने एक प्रार्थना पत्र प्रतिवादी घासीराम पुत्र शंकरराम, बुधाराम पुत्र चन्द्राराम एवं बंशीलाल पुत्र शंकरराम द्वारा अपने हिस्से कि भूमि का बैचान कर देने से उक्त तीनो का नाम स्ट्राईक आउट करने हेतु पेश किया एवं साथ ही फार्म नम्बर 3 के साथ नवीन जमाबंदी प्रस्तुत कि। जमाबदी में उक्त तीनों का नाम नहीं होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर घासीराम पुत्र शंकरराम, बुधाराम पुत्र चन्द्राराम एवं बंशीलाल पुत्र शंकरराम का नाम वाद पत्र से स्ट्राईक आउट किया गया। वकिल वादी ने संशोधित शिर्षक प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 11 का सम्मन स्वयं से तामिल होकर प्राप्त जो केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की तरफ से जवाब दावा काउण्टर क्लेम पेश जिस पर वकिल वादी द्वारा नॉ ऑब्जेक्सन करने एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 10 की तरफ से इकबाली जवाब दावा पेश होने व प्रतिवादी संख्या 11 केवल परफोर्मा पक्षकार होने से विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में वकील वादी ने नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा ऊंचाईड़ा के खाता संख्या 71 प्रदर्ष–1, कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 11 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादपत्र को काउन्टर क्लेम के संलग्न माफिक नजरी नक्शानुसार डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। वकिल प्रतिवादी संख्या 4 से 10 ने वाद पत्र को काउन्टर क्लेम के अनुसार डिक्रि किये जाने कि सहमती दौराने बहस कि। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी का अवलोकन किया गया। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकतः ताईद होती है। तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। जमाबंदी में दर्ज समस्त खातेदारान को पक्षकारान के रूप में संयोजित किया गया है एवं समस्त खातेदार अपने हिस्से कि भूमि को अलग अलग करवाने के हकदार है। वाद पत्र में मौजा ऊचांईड़ा के खसरा नम्बर 367 कि भूमियों का बंट चाहा गया है जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के सहखातेदारी कि भूमि रहती आई है। तहसीलदार जायल को परफोर्मा पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) जायल

Scanned with CamScanner

— :: आदेश ::—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 गणपत के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ऊचांईड़ा के खसर नम्बर 367 रकबा 3.3994 हैक्टेयर में से रकबा 1.3597 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ऊचांईड़ा के खसर नम्बर 367 रकबा 3.3994 हैक्टेयर में से रकबा 0.6798 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 3 शिम्भुराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ऊचांईड़ा के खसर नम्बर 367 रकबा 3.3994 हैक्टेयर में से रकबा 0.3399 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 2, 4 से 10 के सह हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ऊचांईड़ा के खसर नम्बर 367 रकबा 3.3994 हैक्टेयर में से रकबा 1.020 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
5. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरों पर रहन यथावत रहेाग। बैंक सूचित हो।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

निर्णय आज दिनांक 29.10.24 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

Scanned with CamScanner

डिकी बमूकद्दमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 158/2021

वादी

1. गणपत राम पुत्र किता राम जाति मेघवाल निवासी धीरसर तहसील मकराना

बनाम

प्रतिवादीगण

1. ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी कोलिया तहसील डीडवाना
2. मुन्नीदेवी पत्नि इन्द्राराम जाति मेघवाल निवासी उंचाईड़ा
3. शिम्भूराम पुत्र अर्जूनराम जाति मेघवाल निवासी धीरसर
4. रामनिवास पुत्र मांगीलाल जाति हरिजन निवीस उचांईड़ा
5. बावड़ी पत्नि गोमदाराम
6. भंवराराम पुत्र गोमदाराम
7. भागुराम पुत्र गोमदाराम
8. भागीरथ पुत्र पांचाराम
9. सुरेश पुत्र पांचाराम
10. चेनकी पत्नि पांचाराम जातियान हरिजन निवासीगण उचांईड़ा तसहील जायल हाल निवासी उंटालड़ तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू
11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति –

1. वादी 1 कि ओर से श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री गोविन्दराम ढाका एडवोकेट
3. प्रतिवादी संख्या 4 से 10 की ओर से श्री अम्बालाल पारासर एडवोकेट

–:: डिक्री आदेश ::–

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री योगेश कुमार शर्मा एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका एवं अम्बालाल पारासर एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :–

1. वादी संख्या 1 गणपत के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ऊचांईड़ा के खसर नम्बर 367 रकबा 3.3994 हैक्टेयर में से रकबा 1.3597 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ऊचांईड़ा के खसर नम्बर 367 रकबा 3.3994 हैक्टेयर में से रकबा 0.6798 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।

सहायक कलक्टर
(उप.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

28.12.27

File No. 158/2021

प्रतिवादी संख्या 3 शिम्भुराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ऊचांईड़ा के खसर नम्बर 367 रकबा 3.3994 हैक्टेयर में से रकबा 0.3399 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।

4. प्रतिवादी संख्या 2, 4 से 10 के सह हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ऊचांईड़ा के खसर नम्बर 367 रकबा 3.3994 हैक्टेयर में से रकबा 1.020 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
5. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरों पर रहन यथावत रहेाग। बैंक सूचित हो।

आज की तारीख लीज – मुबलिक – बाबत् – खर्चा इस मुकद्दमें मय सूद व शहर – फीस सदी सालाना ख,तारीख वसूल योगो तक – को अदा करें। बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 29.10.24 को जारी किया गया

सहायक कलक्टर *

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह साबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीष्नर बबत इजराय हुक्मीजान मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीष्नर बाबत् इजराय हुक्मीजान मुतफर्रिक		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner